



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**05.04.2024**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल कार्यालय ने पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) में सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीसीएसएससी) के तत्कालीन सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 08.04.2024 तक 05 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है।

ईडी ने पहले 19.02.2024 को उम्मीदवारों से धन और विवरण एकत्र करने में शामिल मुख्य बिचौलिए प्रसन्न कुमार राँय को गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। वर्तमान भर्ती घोटाले में, WBCSSC के अधिकारियों द्वारा प्रसन्न कुमार राँय और अन्य व्यक्तियों के साथ आपराधिक साजिश में कक्षा 9 से 12 के लिए सहायक शिक्षकों के पद पर अयोग्य उम्मीदवारों को अवैध रूप से नियुक्त/अनुशंसित किया गया था।

आगे की जांच जारी है।

\*\*\*\*\*